कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–7, ग्राम–बड़गहन, गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक: 301 /एन0पी0एस0/श्रम–योगी/ल0व्य0/2020–21, दिनांक 09 जून, 2020

आवंटी नाम से
ट्रांसपोर्ट नगर योजना
गीडा, गोरखपुर।

शासन द्वारा प्रधानमंत्री श्रम–योगी मान धन योजना (PM-SYM) एवं नेशनल पेंशन योजना (NPS-Traders) लागू की गई है। यह योजना लघु व्यापारी जो स्व–नियोजित है, तथा दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मील मालिक, तेल मील मालीक, वर्क–शाप मालिको, कमीशन एजेण्टो, लघु होटलो, रेस्तरा के मालिको, लघु व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना एवं सन्निर्माण कर्मकार, हथकरघा कर्मकार एवं अन्य व्यवसाय में कार्य कर रहे कर्मकार के लिए प्रधानमंत्री श्रम–योगी मानधन योजना लागू की गयी है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऐसे समस्त लघु व्यापारी जो स्व–नियोजित है। जिनकी टर्न ओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो तथा ESI, EPF, NPS. का सदस्य ना हो तथा आयकर दाता भी ना हो, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।

प्रधानमंत्री श्रम–योगी मानधन योजना के लिए ऐसे समस्त पुरूष अथवा महिला कर्मकार जिनकी मासिक आय 15,000.00 से अधिक ना हो तथा ESI, EPF, NPS, का सदस्य ना हो तथा आयकर दाता भी ना हो, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।

योजना में प्रवेश उम्र–	18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पेंशन की धनराशि–	60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित न्यूनतम् मासिक पेंशन रू0 3,000.00 प्राप्त करेगा।
पंजीयनकर्ता संस्था–	सी.एस.सी. (भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त)
पेंशनर की मृत्यु की दशा में–	पेंशनर के पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।
अंशदान–	रू0 55.00 से 200.00 तक मासिक अंशदान (योजना में प्रवेश के उम्र के आधार के अनुसार)
पेंशन भुगतान हेतु संस्थान–	भारतीय जीवन बीमा निगम।
आवश्यक अभिलेख–	आधार कार्ड, बैंक बचत खाता के पासबुक।

अतः शासन के इस महात्वाकांक्षी योजना का लाभ उपर्युक्तानुसार उल्लिखित शर्तो के अन्तर्गत प्राप्त करने एवं अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का कष्ट करें।

8-6-2020

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)